



# RAEBARELI POLICE



दिनांक 19 मार्च 2025

थाना गुरुबक्शगंज

## षडयन्त्र रचकर बेटे की हत्या कराने वाली मां अन्य 02 अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार-

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 17 मार्च 2025 को थाना गुरुबक्शगंज क्षेत्रान्तर्गत चन्दई रघुनाथपुर चौराहे के पास बाग में सुरेंद्र यादव (उम्र करीब 25 वर्ष) उर्फ लाला पुत्र स्व० राम बहादुर निवासी रामनगर मजरे पौराई थाना गुरुबक्शगंज जनपद रायबरेली के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुयी थी। जिसके गले पर निशान थे। जिस सम्बन्ध में मृतक की माँ राजकुमी पत्नी स्व० राम बहादुर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार मु०अ०सं० 59/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के खुलासे हेतु पुलिस टीम लगाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कुशल नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत उक्त घटना का पुलिस टीम द्वारा वैज्ञानिक विधि एवं बारीकी से अन्वेषण किया गया तो जानकारी हुयी कि पिता की मृत्यु के बाद बहन सचिन के नाम आयी जमीन को अपने नाम कराने को लेकर मृतक सुरेंद्र उर्फ लाला अक्सर अपने परिवार में शराब पीकर अपनी मां-बहन से झगडा/मारपीट किया करता था। इसी बात से परेशान होकर मां राजकुमारी ने अपने दामाद बृजेश यादव पुत्र स्व० जगन्नाथ निवासी पूरे फुरसत पोस्ट वरउवा थाना गुरुबक्शगंज जनपद रायबरेली, अपनी बेटी सचिन पत्नी बृजेश यादव निवासी उपरोक्त व हरिश्चन्द्र पुत्र रामलखन निवासी ग्राम वन पुरवा मजरे वरउवा थाना गुरुबक्शगंज जनपद रायबरेली के साथ षडयंत्र रचकर अपने पुत्र सुरेंद्र उर्फ लाला उपरोक्त को रास्ते से हटाने के सम्बन्ध में योजना बनायी तथा 50,000रु०/- में हरिश्चन्द्र द्वारा लाला उर्फ सुरेंद्र उपरोक्त को मारने के लिये सौदा तय किया। इसी क्रम में करीब दो माह पूर्व राजकुमारी आदि अभियुक्तों ने हरिश्चन्द्र उपरोक्त को 20,000 रु०/- नगद, उसके बाद 7,000रु०/- और घटना के कुछ दिन पूर्व 500 रु०/- (कुल राशि 27,500 रु०/- नगद) हरिश्चन्द्र को दिये। पूर्व बनायी योजना के अनुसार दिनांक 16.03.2025 को हरिश्चन्द्र, बृजेश यादव व मृतक सुरेंद्र उर्फ लाला ने मिलकर शराब पी और सुरेंद्र को अधिक पिलायी अधिक नशे मे हो जाने के बाद उपरोक्त तीनों लोग किलौली बाजार आये जहां मौका देखकर सुरेंद्र उर्फ लाला की मोटर साइकिल को चन्दई रघुनाथ पुर चौराहे के निकट रोड़ पर खड़ा कर दिया और बाग में ले जाकर बृजेश व हरिश्चन्द्र ने सुरेंद्र उर्फ लाला का गला घोटकर मार दिया तथा शव को वहीं पास में झाड़ियों में छुपाकर पैदल ही चले गये।

विवेचना के क्रम मे मृतक सुरेंद्र उर्फ लाला पुत्र स्व० रामबहादुर निवासी ग्राम रामनगर मजरे पोरई थाना गुरुबक्शगंज रायबरेली की समान आशय होकर षडयंत्र रचकर हत्या कर शव को झुपाने में अभियुक्तगण 1. बृजेश यादव पुत्र स्व० जगन्नाथ (मृतक का बहनोई) 2. राजकुमारी पत्नी स्व० राम बहादुर (मृतक की मां) 3. सचिन पत्नी बृजेश यादव (मृतक की बहन) 4. हरिश्चन्द्र पुत्र रामलखन रायबरेली का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 19 मार्च 2025 को थाना गुरुबक्शगंज पुलिस टीम द्वारा वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. बृजेश यादव 2. राजकुमारी 3. सचिन उपरोक्त को थाना गुरुबक्शगंज क्षेत्र के रायबरेली रोड पर स्थित रामनगर मोड नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अभियुक्त हरिश्चन्द्र उपरोक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण:-** अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में मृतक सुरेंद्र उर्फ लाला की आदतो से परेशान होकर योजना बनाकर हत्या करने की बात को स्वीकार किया गया।

## नाम पता अभियुक्तगण:-

1. बृजेश यादव पुत्र स्व0 जगन्नाथ निवासी ग्राम पूरे फुरसत पोस्ट वरउवा थाना गुरुबकशगंज रायबरेली। (मृतक का बहनोई)
2. राजकुमारी पत्नी स्व0 राम बहादुर निवासी ग्राम रामनगर मजरे पोरई थाना गुरुबकशगंज जनपद रायबरेली। (मृतक की मां)
3. सचिन पत्नी बृजेश यादव निवासी ग्राम पूरे फुरसत पोस्ट वरउवा थाना गुरुबकशगंज रायबरेली। (मृतक की बहन)

## आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 59/2025 धारा 103(1)/238/3(5)/61(2) BNS थाना गुरुबकशगंज रायबरेली।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार थाना गुरुबकशगंज जनपद रायबरेली
2. निरीक्षक श्री विजेन्द्र शर्मा प्रभारी सर्विलांस सेल/एसओजी टीम रायबरेली।
3. व0उ0नि0श्री संजय कुमार सिंह थाना गुरुबकशगंज जनपद रायबरेली।
4. उप-निरीक्षक श्री चन्द्र प्रताप सिंह सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
5. उ0नि0 श्री शेखर बालियान सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
6. मुख्य आरक्षी श्री समर सिंह सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
7. मुख्य आरक्षी श्री राजीव शुक्ला सर्विलांस/एसओजी स्वाॅट टीम रायबरेली।
8. मुख्य आरक्षी चालक श्री अरुण सिंह सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
9. मुख्य आरक्षी श्री राजेश कुमार सिंह सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
10. मुख्य आरक्षी श्री अमित सिंह सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
11. आरक्षी श्री प्रशांत तिवारी सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
12. आरक्षी श्री संदीप यादव सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
13. आरक्षी श्री गोविन्द कुमार सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
14. आरक्षी अनिल नागर थाना गुरुबकशगंज जनपद रायबरेली।
15. आरक्षी प्रदीप चौहान थाना गुरुबकशगंज जनपद रायबरेली।
16. आरक्षी सचिन सिंह थाना गुरुबकशगंज जनपद रायबरेली।
17. म0 आरक्षी नम्रता यादव थाना गुरुबकशगंज जनपद रायबरेली।
18. म0आरक्षी शालिनी यादव थाना गुरुबकशगंज जनपद रायबरेली।

